राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1920/2016

ओम प्रकाश शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त भूप्रबन्ध राजस्थान, जयपुर।
2. भूप्रबंध अधिकारी, उदयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.06.2016
आदेश की दिनांक : 11.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज गोयल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक की योग्यता रखता एवं अपीलार्थी ने अपना पंजीकरण जिला नियोजन कार्यालय उदयपुर में करा रखा था। प्रत्यर्थी विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पांच रिक्त पद रिक्त थे। इन पदों को भरने हेतु प्रत्यर्थी विभाग ने जिला नियोजन कार्यालय को पत्र भेजा। जिला नियोजन कार्यालय द्वारा भेजी गई सूची में से चयन करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग ने एक चयन समिति का गठन किया। उक्त चयन समिति ने सभी आशार्थियों का टंकण परीक्षा के पश्चात् चयनित व्यक्तियों की मेरिट लिस्ट बनाई गई। चयन समिति द्वारा चयनित व्यक्तियों को मेरिट लिस्ट के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर आदेश दिनांक 15.03.1980 को जारी किया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्र.सं. 1 पर अंकित है। उक्त आदेश के अंत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्र.सं 1 पर दर्शित कर्मचारी, जो अपीलार्थी है, ने टंकण परीक्षा पास कर ली है। (अनुलग्नक–1) आदेश दिनांक 15.03.1980 के अनुसार चयनित व्यक्ति को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत करने का निर्देश दिए गए। उक्त आदेश के नोट के अनुसार अपीलार्थी ने नियुक्ति के समय टंकण परीक्षा पास कर ली। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति चयन समिति द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वरीयता सूची के अनुसार अपीलार्थी को नियुक्त किया गया एवं कार्यभार ग्रहण करते वक्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लिया गया। उक्त सभी कार्यवाही नियमित नियुक्ति के वक्त की जाती है अतः अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति भी नियमित नियुक्ति की श्रेणी में माना जाना चाहिये। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश के दिनांक 15.03.1980 के अनुसरण में अपीलार्थी ने

दिनाक 05.04.1980 को भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर दी। (अनुलग्नक–2) राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारियों को चयनित वेतनमान के लाभ हेतु एक परिपत्र दिनांक 25.01.1992 को जारी किया। इस परिपत्र के अनुसार कर्मचारी को नौ वर्ष पूर्ण करने पर प्रथम पदोन्नति का लाभ, 18 वर्ष पूर्ण करने पर द्वितीय पदोन्नति एवं 27 वर्ष पूर्ण होने पर तृतीय पदोन्नत्ति का लाभ नहीं मिलता है तो उस कर्मचारी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार अपीलार्थी को प्रथम पदोन्नति नौ वर्ष में नहीं होने के कारण उसे प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 25.03.1995 के द्वारा अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। अपीलार्थी की कनिष्ठ लिपिक के पद पर वेत्तन श्रृंखला 950–1050 प्राप्त कर रहा था एवं उसे वेतन श्रृंखला 1200–2050 प्रदान की गई। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी की कार्यग्रहण तिथि 05.04.1980 थी एवं उसने 18 वर्ष 05.04.1998 को पूर्ण कर लिये एवं इस अवधि में उसे एक भी पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। अतः विभाग ने अपीलार्थी एवं अन्य दो कनिष्ठ लिपिकों को द्वितीय चयनित वेतनमान देने हेतु एक पत्र भू प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर ने आयुक्त भू–प्रबन्ध को दिनांक 07.07.1999 को भेजा। इस पत्र में भू प्रबन्ध अधिकारी ने आयुक्त को अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका भेजकर 18 वर्षीय चयनित वेतनमान देने की अनुशंषा की है। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी के अलावा श्याम सुन्दर फोरालिया एवं सुरेन्द्र छाजेड का प्रकरण भी चयनित वेतनमान हेतु आयुक्त प्रबन्ध को भेजा गया एवं तीनों कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक पाया गया। भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य दो कर्मचारियों का सेवाभिलेख चयनित वेतनमान की स्वीकृति हेतु आयुक्त भू प्रबन्ध को भेजे जाने एवं आयुक्त कार्यालय द्वारा अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का इन्द्राज न होने के कारण अपीलार्थी का सेवाभिलेख भूप्रबन्ध अधिकारी उदयपुर को भेज कर निर्देश दिया कि अपीलार्थी के सेवाभिलेख में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण का इन्द्राज कर पुनः भिजवावे। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 05.04.1980 से लगातार कार्य करता रहा व उसे हर वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धियां भी प्रदान की गई व विभाग ने उसे प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रदान कर दिया। विभाग ने अपीलार्थी को नियमित कनिष्ठ लिपिक मानते हुए कनिष्ठ लिपिक की वरीयता सूची में नाम भी दर्शा दिया। इस बाबत् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची दिनांक 11.10.2012 को जारी की जिसमें अपीलार्थी का नाम क्र.सं. 23 पर अंकित है। (अनुलग्नक–6) प्रत्यर्थी विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19.10.2012 को आहूत कर 29 कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत कर दिया। उक्त विभागीय पदोन्नति समित्ति की अनुशंषा के आधार पर विभाग ने आदेश दिनांक 28.10.2012 को 29 कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत कर उन्हें वर्ष आवंटित कर दिया। आदेश

दिनांक 23.10.2012 (अनुलग्नक–7), जिसमें अपीलार्थी का नाम क्र.सं. 17 पर अंकित है एवं उसे वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है। उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर के यहाँ दिनांक 01.11.2012 को वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग ने वरिष्ठ लिपिकों की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 14.07.2015 को जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम करा. 56 पर अंकित है। (अनुलग्नक–8) प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को नियमित कनिष्ठ लिपिक मानते हुए उसे वरिष्ठता सूची में भी नाम दर्शा दिया एवं उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर उसे वरिष्ठ लिपिक के पद पर भी नियमित पदोन्नति प्रदान की गई। विभाग ने अपीलार्थी का नाम वरिष्ठ लिपिक की वरीयता सूची में भी नाम दर्शा रखा है। अतः अपीलार्थी नियमित कनिष्ठ लिपिक एवं तत्पश्चात् नियमित वरिष्ठ लिपिक है। अपीलार्थी 60 वर्ष पूर्ण करने के कारण 31.10.2015 को सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी को द्वित्तीय चयनित वेतनमान का लाभ न दिये जाने के कारण एक ज्ञापन प्रत्यर्थी विभाग को 07.01.2009 को दिया। (अनुलग्नक–9) अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी के साथ ही नियुक्त मनोहर लाल शर्मा को द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया है। परन्तु अपीलार्थी को नहीं दिया गया। अतः उसे द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे। अपीलार्थी ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् एक ज्ञापन पुनः दिनांक 04.11.2015 को आयुक्त भूप्रबन्ध जयपुर को दिया। उक्त ज्ञापन में अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उसे द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान प्रदान किये जावे। अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ न दिये जाने के कारण कनिष्ठ कर्मचारी ज्यादा वेतन प्राप्त कर रहा है। (अनुलग्नक–10) अपीलार्थी द्वारा उक्त ज्ञापन दिये जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को सूचित किया कि अपीलार्थी ने नियमानुसार दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है अतः वह चयनित वेतनमान के पात्र नहीं है। (अनुलग्नक–11)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.01.2016 (अनुलग्नक–11) को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी को भी द्वित्तीय व तृतीय वेतनमान का लाभ प्रदान किये जावे तथा अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 05.04.1980 की मानते हुए उसे 05.04.1998 से द्वितीय व 05.04.2007 से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किये जावे। साथ ही अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के मिलने वाले लाभ अर्थात जी.पी.ओ., पी.पी.ओ. इत्यादि भी उसी आधार पर प्रदान किये जावें एवं समस्त परिणामी लाभ ब्याज सहित दिलाए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आदेश दिनांक 22–1–2016 पूर्णतः नियमानुसार जारी आदेश है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि आदेशों के नियमों के उल्लंघन अथवा दुर्भावना के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। अपीलार्थी उक्त तथ्यों को

वर्तमान अपील में स्थापित करने में असमर्थ रहा है, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य है। भू प्रबन्ध आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक/फा/संस्था/1/1/1/3/भूप्रआ/80/4510 दिनांक 25–3–80 से चयन समिति की सिफारिश पर भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ने सर्वश्री ओमप्रकाश शर्मा, मनोहनलाल शर्मा, सुरेन्द्र सिंह छाजेड, मणीशंकर खराडी एवं देवी सिंह मीणा को कनिष्ठ लिपिक पद पर चेतन श्रृंखला नंबर 7 (355–570) एवं अन्य देय भत्तों पर नियुक्ति आदेश इस शर्त पर जारी किये गये कि ''नियुक्ति सर्वथा अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए अथवा लोक सेवा आयोग अजमेर से कनिष्ठ लिपिक परीक्षा पास व्यक्ति उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो नियुक्त किया जाकर भू–प्रबन्ध कार्यालय उदयपुर में पदस्थापित किया गया। समय समय पर अस्थाई अवधि बढाई गई। वर्णित नियुक्ति आदेश के क्रम संख्या 1, 2, 3 ने टंकण परीक्षा पास की है, जिसका नोट नियुक्ति आदेश में अंकित है।'' यह नियुक्ति आदेश भू प्रबन्ध आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 25–3–80 को जारी किया, जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 25–3–80 के बजाय दिनांक 15–3–80 दर्शाया है, जो कि गलत है। भू प्रबन्ध आयुक्त द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 25–3–80 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नियुक्ति सर्वथा अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए अथवा लोक सेवा आयोग अजमेर से कनिष्ठ लिपिक परीक्षा पास व्यक्ति उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो नियुक्त किया जाकर भू–प्रबन्ध कार्यालय उदयपुर में पदस्थापित किया गया। नियुक्ति के वक्त ही शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लिया गया। इससे यह प्रमाणित नही होता है कि नियुक्ति नियमित रूप से दी गई, अपीलार्थी का नियुक्ति अवधि अस्थाई रूप से समय समय पर बढाई गई। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13–5–1981 के अनुसरण में दिनांक 31–3–1980 तक तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारी को विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही नियमित करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में विभाग में अलग अलग केन्द्रों पर दक्षता परीक्षा, टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से तदर्थ रूप से नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को नियमित माना जाकर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। (अनुलग्नक–आर/1) अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध आयुक्त के उपरोक्त आदेश दिनांक 25–3–1980 की पालना में भू प्रबन्ध कार्यालय, उदयपुर में दिनांक 5–4–1980 को कनिष्ठ लिपिक पद पर उपस्थिति प्रस्तुत की। राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25–1–1992 के अनुसरण में भू प्रबन्ध आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 25–3–1995 से अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुए दिनांक 5–4–1994 से दिया गया है। राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 17.02.1998 एवं दिनांक 29–6–2009 के अनुसरण में को नियमित नियुक्ति की दिनांक से चयनित वेतनमान स्वीकृति हेतु निर्देशित किये जाने पर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 5–3–1999 में प्राप्त मार्गदर्शन

अनुसार चयनित वेतनमान की गणना दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियमित नियुक्ति तिथी से सेवा की गणना की जाती है। अपीलार्थी द्वारा विभाग द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. का लाभ नहीं दिया गया। परिपत्र दिनांक 17–2–1998 एवम् विभाग द्वारा मांगा गया। मार्ग दर्शन अनुलग्नक–आर/2एवं 3 पर है। अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री श्यामसुन्दर घोसलिया एवं श्री सुरेन्द्र सिंह छाजेड को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान देने हेतु प्रकरण तत्कालीन भू प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर ने दिनांक 7–7–1999 से भू प्रबन्ध आयुक्त को अग्रेषित किया। किन्तु अपीलार्थी ने कार्यदक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नही करने से नियमित नियुक्ति अभाव में चयनित वेतनमान का पात्र नही होने से भू प्रबन्ध आयुक्त द्वारा द्वितीय चयनित वेतनमान नही दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नही करने के कारण 18 वर्षीय चयनित वेतनमान नही दिये जाने के संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 11–7–2009 को ही सूचित कर दिया। (अनुलग्नक–आर/4) अपीलार्थी की अपील समय बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। श्री सुरेन्द्र सिंह छाजेड एव श्री श्यामसुन्दर घोसलिया लिपिक द्वारा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने से उक्त कर्मचारियों को नियमित करते हुए चयनित वेतनमान दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नही करने के कारण उसकी सेवा पुस्तिका में दाखिला नही लगाया गया। भू प्रबन्ध आयुक्त महोदय द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की जारी वरिष्ठता सूची में अन्य तदर्थ कर्मचारियों के नाम के साथ अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा कनिष्ठ लिपिक का नाम भी वरिष्ठता सूची में अंकित है, वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी दिया गया। भू प्रबन्ध आयुक्त के आदेश दिनांक 23–10–2012 से 29 कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा को वर्ष 2011–2012 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति की गई। उपरोक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा ने इस कार्यालय में दिनांक 1–11–2012 को वरिष्ठ लिपिक पद पर उपस्थिति दी। भू प्रबन्ध आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 14–7–2015 द्वारा वरिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची जारी की जिसमें अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा का नाम अंकित है। भू प्रबन्ध आयुक्त ने आदेश दिनांक 23–10–2012 से अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा को कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 31–10–2015 को सेवानिवृति हो गए। अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा सेवानिवृति पश्चात् भूप्रबन्ध आयुक्त को दिनांक 4–11–2015 को चयनित वेतनमान 18 व 27 वर्ष देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भू प्रबन्ध आयुक्त ने आदेश दिनांक 22–1–2016 से अपीलार्थी को पत्र भेजा जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि नियमों के अंतर्गत कार्य दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर नियमित नियुक्ति के अभाव में चयनित वेतनमान के पात्र नहीं होने के संबंध में स्वीकृत नहीं किये गये है। भू प्रबन्ध आयुक्त के आदेश दिनांक क्रमशः दिनांक 22–4–1994 एवं 8–5–2003 से श्री मनोहरलाल शर्मा लिपिक ग्रेड–I को 9 वर्षीय एवं 18 वर्षीय चयनित

वेतनमान कमशः दिनांक 12–4–1994 एवं 12–4–1998 को स्वीकृत किया गया, किन्तु श्री मनोहरलाल शर्मा की नियुक्ति आदेश दिनांक 25–3–1980 के द्वारा तदर्थ आधार पर होने पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 13–5–1981 (अनुलग्नक–आर/2) द्वारा दक्षता परीक्षा/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक होने से श्री मनोहरलाल शर्मा कनिष्ठ लिपिक हाल लिपिक ग्रेड–1 द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के कारण प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहने पर उनके आदेश दिनांक 29–6–2011 से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार मनोहरलाल शर्मा की नियमित नियुक्ति तिथी का निर्धारण नहीं हो सकने की स्थिति में श्री मनोहरलाल शर्मा को पूर्व में स्वीकृत 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 11–8–2009 से निरस्त किया। (अनुलग्नक–आर/5,6) राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 20–8–2010 के अनुसरण में आदेश दिनांक 11–8–2009 को अपास्त करते हुए मनोहरलाल शर्मा को पूर्व में स्वीकृत 18 वर्षीय चयनित वेतनमान यथावत रखा गया। (अनुलग्नक–आर/7,8,9) मनोहरलाल शर्मा लिपिक ग्रेड–I को विभागाध्यक्ष द्वारा आदेश दिनांक 12–5–1994 द्वारा टंकण परीक्षा से मुक्त किया गया है। अपीलार्थी के नियमित नियुक्ति दिनांक के निर्धारण के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। मनोहरलाल शर्मा को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान/एसीपी नियमित सेवा के अभाव में स्वीकृत नहीं की गई है। चयनित वेतनमान स्वीकृती के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20–8–2010 एवं दिनांक 18–11–2010 को भी आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट है कि नियमित दिनांक से ही चयनित वेतनमान दिया जायेगा। इसलिए अपीलार्थी द्वारा दक्षता परीक्षा पास नही किये जाने के कारण अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण अपीलार्थी को 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान नियमानुसार नही दिया जा सकता है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को नियमित रूप से वार्षिक चयनित वेतनमान स्वीकृत की जा रही है एवं अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवाओं का प्रथम चयनित वेतनमान आदेश दिनांक 25.03.1995 द्वारा दिनांक 05.04.1994 से स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी को द्वितीय और तृतीय चयनित वेतनमान इस आधार स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि उसके द्वारा टंकण परीक्षा/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की और उसकी सेवा पुस्तिका में उसका इंद्राज नहीं है, जो सही नहीं है, क्योंकि तदर्थ अस्थाई नियुक्ति आदेश दिनांक 25.05.1980 में अपीलार्थी द्वारा टंकण परीक्षा पास करने का स्पष्ट रूप से अंकन है और यदि इस तथ्य का अपीलार्थी के सेवा अभिलेख में अंकन नहीं है तो यह प्रत्यर्थी विभाग का दायित्व है कि अपीलार्थी के सेवा अभिलेख को अद्यतन किया जावे। जहां एक ओर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के टंकण परीक्षा

उत्तीर्ण नहीं करने के आधार पर द्वितीय और तृतीय/एसीपी स्वीकृत नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है और उसे नियमित रूप से वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जा रही है। वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी द्वारा टंकण परीक्षा /दक्षता परीक्षा तदर्थ नियुक्ति के समय ही उत्तीर्ण कर ली थी। टकंण दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के आधार पर उसे चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जाना नियमानुसार नहीं है। अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थी उक्त द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का पात्र है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 22.01.2016 को अपास्त किया जाता है और अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है कि अपीालर्थी को नियमानुसार द्वितीय और तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाकर उसको पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे एवं तदनुसार उसके सेवानिवृत पर देय परिलाभों को भी संशोधित किया जाकर भुगतान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य